न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 24/2018/डिक्री

धन्नी मृतक के बजाय–
1. किशनलाल पिता नाना गुर्जर
2. मोहनलाल पिता नाना गुर्जर
दोनो निवासी ओछडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. छोगालाल पिता नाथु गुर्जर
निवासी बोजुन्दा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2.राज्य जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
दिनांक 11/10/2017 क्रमांक 186/2017

उपस्थित – 1. श्री राकेशपुरी गोस्वामी – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1

निर्णय दिनांक – 28.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि मृतक वादिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे वाद अन्तर्गत 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02/06/2016 को वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री गया जिसकी अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा की गई एवं उक्त अपील के दौरान वादिया धन्नी की मृत्यु हो जाने से उसके दोनो पुत्रो अपीलान्टस को विधिक वारिस के तौर पर रेकार्ड पर लिया गया जिनकी ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का प्रस्तुत कर वाद पत्र मे संशोधन किये जाने का निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर अपील रेस्पोडेन्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की गई कि दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर दिया जाकर साक्ष्य सबुत लिया जाकर वाद पत्र का निर्णय किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय मे प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई हेतु नियत किया। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 7 नियम 11 जा0दी0 इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादिया धन्नी द्वारा स्वैच्छिक रजामंदी एवं हकत्याग से प्रार्थी के नाम 40 वर्ष इंतकाल खुलवाया है। वादिया का कभी कब्जा नही रहा हैं एवं धन्नी बाई की मृत्यु हो चुकी है एवं वादीगण नाना की सम्पत्ति मे कोई अधिकार नही रखते हैं इसलिये वाद पत्र इसी स्टेज पर खारीज किया जावे। वादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र खातेदारी घोषणा का है एवं वादपत्र नाथू की पुत्री ने प्रस्तुत किया जो पूर्व मे डिक्री हो चुका है एवं पूर्ण सुनवाई के पश्चात् ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारंभिक स्तर पर ही प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र निरस्त कर दिया जिससे असंतुष्ट होकर न्यायालय मे वैधानिक बिन्दूओ पर प्रस्तुत की है। वादिया मृतक धन्नी नाथु की पुत्री थी जिसका उनकी मृत्यु के पश्चात् खोले गये नामान्तकरण मे पुत्री के रूप मे नाम दर्शाया गया परन्तु नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट के नाम खोला गया जबकि पुत्रियो का पिता की सम्पत्ति मे शुरू से ही समान हक अधिकार रहा है। धन्नीबाई ने रेस्पोडेन्ट छोगा के पक्ष मे कभी भी रिलीजडीड या हक त्याग नही किया एवं अपने हिस्से पर शुरू से ही काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। प्रस्तुत प्रकरण मे अपीलान्टस की ओर से अपने नाना नाथू गुर्जर की सम्पत्ति मे कोई खातेदारी घोषणा की मांग नही की बल्कि नाथु की पुत्री ने वाद प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया गया एवं दौराने अपील मृतक धन्नी की मृत्यु हो जाने से अपीलान्टस उनके विधिक वारिसान होने से रिकार्ड पर लिये गये एवं प्रकरण पूर्ण सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। अपीलान्टस को निर्णय की जानकारी नही थी। जानकारी होने पर अन्दर मयाद अपील पेश है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11/10/2017 को निरस्त फरमाया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि धन्नी नाथु गुर्जर की पुत्री है, नाथु गुजर्र की पत्नि की मृत्यु हो चुकी है। अब धन्नी एवं उसका एक भाई कुल दो व्यक्ति नाथु गुर्जर के वारिस है। इस सम्बन्ध मे विरासतन इंतकाल संख्या 77 हेतु प्रकरण पंचायत मे प्रस्तुत हुआ परन्तु एक पुत्र मानकर इंतकाल दिनांक 04/06/1977 को खारीज कर दिया गया। इसी को आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण डिक्री कर दिया गया। जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के न्यायालय मे प्रस्तुत की गई जिसका

क्रम संख्या 157/2016 जिसमे दिनांक 07/09/2017 को प्रकरण रिमाण्ड किया गया। दौराने अपील धन्नी की मृत्यु हो जाने के कारण अपीलीय कोर्ट मे कायम मुकाम हो गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की अनुपालना मे पुनः सुनवाई की गई तथा दिनांक 11/10/2017 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद इस वजह से खारीज कर दिया गया कि धन्नी की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी सूरत मे वादिया की ओर से उपस्थित श्री किशनलाल वगैरह हो नाना की सम्पत्ति मे किसी प्रकार का विधिक अधिकार नही रहता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त होने योग्य हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि धन्नी की मृत्यु पहले हुई है तथा नाना की मृत्यु बाद मे हुई है। ऐसी सूरत मे एक व्यक्ति दो–दो जगह की विरासतन सम्पत्ति प्राप्त नही कर सकता है। यह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के प्रतिकूल है। अधीनस्थ न्यायालय मे आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 मे इन तथ्यो का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। जिसको देखते हुए ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है जो विधिसम्मत है। इस प्रकार अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज होने योग्य है।

4. बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यचायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के तहत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद खारीज किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नही पाया जाता है। फलतः अपील अपीलान्ट खारीज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 186/2017 मे पारित निर्णय दिनांक 11/10/2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़